फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रीमति लेरकी देवी वगैरा		भंवरी बेवा लालसिंह वगैरा

अपील संख्या 21 /2023

किस्म मुकद्दमा : अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.03.2023	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा बमुकदमा संख्या 91/2022 बउनवान लालसिंह फौत के का.मु. वगैरा बनाम आयुक्त नगर परिषद जालोर वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 26.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट स्थगन प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 09 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 एवं 11 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात सरहद बी–जालोर के वर्तमान खसरा नंबर 4932 रकबा 6.23 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने एवं रेकर्ड दुरूस्ती कराने का निवेदन किया एवं साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी मे से कृषि भूखंड संख्या 01, 02 एवं 03 बेचानकर्ता रघुनंदन दवे पुत्र श्यामसुन्दर दवे से दिनांक 04.05.2012 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गई है। उक्त खरीद का इन्द्राज सब रजिस्ट्रार कार्यालय जालोर मे दिनांक 04.05.2012 का पजीबंद्ध है जिसके सेल	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डीड नंबर 2012002715 है। रेस्पोडेन्ट सख्या 01 लगायत 09 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत जानबूझकर पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 को पक्षकार संयोजित किया जाकर जैर एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश पारित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के कारण अपीलांटगण अपनी खरीदशुदा आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे है। जिससे अपीलांटगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र की फोटो–प्रति दिनांक 04.05.2012 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से खरीद किया है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 09 द्वारा अपीलांटगण को पक्षकार संयोजित किये बिना एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश के जरिये रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया गया है। जो कि उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत जैर अपील आदेश दिनांक 26.05.2022 को पारित किया गया है। उक्त आदेश को पारित किये गये लगभग 10 माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है।_हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम व्यादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए है, उनमे मुख्य रूप से आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य है, जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है–

आदेश 39 नियम 3

3. *Before granting injuction, Court to direct notice to opposite party-*

The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application

for the same to given to be the opposite party

Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

राजस्व अपील प्राधिकारी

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. *a copy of the affidavit filed in support of the application.*
2. *a copy of the plaint and*
3. *copies of doucments on which the applicant relies, and*

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.

आदेश 39 नियम 3(क) सी.पी.सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील व्यादेश एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश है। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, ऐसे मामलो को न्यायालय द्वारा 30 दिवस के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ के अन्तर्गत इस संबध मे कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण मे अंतरिम व्यादेश इस अमर का सादिर किया जाता है कि सहायक कलक्टर जालोर द्वारा बमुकदमा संख्या 91/2022 बउनवान लालसिंह फौत के का.मु. वगैरा बनाम आयुक्त नगर परिषद जालोर वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 26.05.2022 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष प्रकरण से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का उभयपक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुए 02 माह के भीतर अंतिम निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली